"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30 5 2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012 2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 जून 2013—ज्येष्ठ 13, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-9/2004/1-6.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-01-2005 द्वारा जारी अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण निधि नियम 2004 तथा संशोधन दिनांक 14-09-2007 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 7-5/2004/1/6, दिनांक 19-09-2007 में क्रमश: निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियम की कंडिका-3 के उप नियम (1), (2), (3), (4), (5) एवं (6) को विलोपित किया जाकर इसके स्थान पर निम्नानुसार उप नियम (1), (2), (3), (4) एवं (5) प्रतिस्थापित किया जाता है :—

(1) माननीय सदस्यों/क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के मांग के अनुरूप राशि प्राधिकरण/प्राधिकरण के अध्यक्ष की स्वीकृति के पश्चात् प्राधिकरण प्रकोष्ठ द्वारा आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास को वित्तीय स्वीकृति की संसूचना प्रेषित करते हुए संबंधित जिला कलेक्टर को अवगत कराया जाएगा.

(2) प्राधिकरण प्रकोष्ठ से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के आधार पर कलेक्टर द्वारा नियत की गई एजेंसी प्ररूप-क में विकास कार्यों का विवरण देते हुए, प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा. इसमें कार्य की तकनीकी स्वीकृति की सक्षमता अनुसार सम्मिलित होगी. कलेक्टर को एक करोड़ रुपये तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का अधिकार होगा. इसके ऊपर की राशि के लिए संबंधित विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी.

(3) निर्माण एजेंसी के द्वारा प्ररूप- क में प्रस्ताव मय आवश्यक दस्तावेज, ड्राईंग, साईट प्लान, भौतिक सीमा चिन्ह, नक्शा व खसरा (पांच साला) सहित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा.

(4) जिला कलेक्टर निर्माण एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत प्ररूप–क एवं संलग्न आवश्यक दस्तावेजों का पूर्ण परीक्षण करते हुए प्ररूप "ख" में प्रमाण पत्र जारी करेगा. इसमें कार्य की सक्षमता अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति भी सम्मिलित होगी.

(5) स्वीकृत कार्यों के लिए तैयार प्रस्ताव प्ररूप "क/ख" का संधारण जिला स्तर पर जिला कलेक्टर संबंधित कार्यालय में एक सेल बनाकर करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.